<u>नोटों के प्रेषण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर को बंद ट्रक / कंटेनर उपलब्ध कराने के लिए निविदा का आवेदन फार्म</u>

1. आवेदक का विवरण:

1. ट्रांसपोर्ट कंपनी / फर्म का नाम: मालिक का नाम :	
2. पंजीकृत पता:	
3. पैन संख्या (फोटो प्रति साथ लगाए):	
4. टेलीफोन / मोबाईल न.:	
5. फैक्स नम्बर:	
6. बैंक का नाम, पता, खाता संख्या प्रकार और IFSC सं.या निरस्त चैक की प्रति संलग्न करें :	I. बैंक का नाम व पता ____________ II. खाता संख्या ____________ III. खाते का प्रकार ____________ IV. IFSC ____________

2. आवेदक के वर्तमान में स्वामित्व वाले ट्रकों / कंटेनरों का विवरण (प्रेषण में प्रयोग हेतु):

प्रकार (मेक)		वर्ष	क्षमता (टनों में)	पंजीकरण सं.	परमिट न. (राष्ट्रीय / राज्य)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

3. नोटों के प्रेषण हेतु उपलब्ध कारवाई जा सकने वाले ट्रकों / कंटेनरों का विवरण:

क्रम सं.	कंटेनर का आकार				कांटेनरों की संख्या
	ऊंचाई (फीट)	चौड़ाई (फीट)	लंबाई (फीट)	क्षमता (टनों में)	
				9 एमटी/12 एमटी /16एमटी	

4. इस प्रकार का अनुबंध यदि अन्य किसी संस्था के साथ पूर्व में किया गया है तो उसका विवरण:

संस्था का नाम	पता और टेलीफोन न.	अनुबंध की अवधी

..2

5. **निविदा की दर**:

कंटेनरों की संख्या:	भाड़ा दर प्रति कि मी		
बंद ट्रकों का प्रकार और क्षमता (टनों में)	राजस्थान में (जयपुर नगर निगम सीमा में)	राजस्थान में (जयपुर नगर निगम सीमा के अलावा)	राजस्थान से बाहर
9 मी टन			
12 मी टन			
16 मी टन			

1. सबसे छोटे रास्ते से दोनों तरफ के भाड़े का भुगतान किया जाएगा **|**
2. खड़े रहने का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा **|**
3. ऊपर इंगित की गई दरों में टोल शुल्क**,** विभिन्न कर**,** पार्किंग शुल्क शामिल है**|**

6. प्रेषण के दौरान वाहन पर नजर रखने (**GPS/GPRS)** की सुविधा होगी:

7. क्या निविदा कर्ता को पूर्व में रिजर्व बैंक**,** राज्य/केंद्र सरकार द्वारा निविदा भरने हेतु मना किया गया है**|** हाँ/नहीं

8. अन्य कोई सूचना :

9. संलग्न किए गए भुगतान आदेश / ड्राफ्ट का विवरण :

दिनांक: (हस्ताक्षर)

कंपनी / फर्म की मुहर

अनुलग्नक:

1. भुगतान आदेश संख्या / डिमांड ड्राफ्ट संख्या :
2. निर्धारित नियम और शर्तों की प्रति जिसमें आवेदक द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर बिना शर्त हस्ताक्षर किए गए हों | कंपनी की स्थिति में निदेशक मण्डल के प्रस्ताव की प्रति जिसमें हस्ताक्षर कर्ता को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया हो | फर्म की स्थिति में अधिकृत होने का दस्तावेज़ |
3. वाहनों के रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति |
4. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की फोटो प्रति |
5. जिन संस्थाओं के साथ पूर्व में कार्य किया है उनके द्वारा जारी संतोषजनक कार्य करने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति (अनुबंध के विवरण सहित) |

प्रेषण कार्य हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर को बंद ट्रक / कंटेनर उपलब्ध कराने के लिए निविदा के सामान्य अनुदेश और विशेष शर्ते

1.मुहरबंद निविदाएं दो प्रतियों में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर को भेजी जाएं और उस पर " नोटों के प्रेषण हेतु बंद ट्रकों / कंटेनरों की आपूर्ति हेतु निविदा" लिखा हुआ होना चाहिए ये निविदाएं इस प्रकार भेजी जाएं कि वे दिनांक 18 अगस्त 2017 को 2.30 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाएं । निविदाओं की प्रत्येक प्रति पर निविदाकर्ता अपने पूरे हस्ताक्षर सहित मूल प्रति और दूसरी प्रति का स्पष्ट उल्लेख करें ।

2. कोई भी निविदा किसी भी परिस्थिति में 18 अगस्त 2017 को 2.30 बजे के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी ।

3. (क) निविदाएं दिनांक 22 अगस्त 2017 को 3.30 बजे इस कार्यालय में निविदाकर्ताओं या वहाँ उपस्थित रहने के लिए उनके द्वारा चुने हुऐ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर द्वारा या इस हेतु उनके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी द्वारा खोली जाएंगी ।

(ख) निविदाकर्ता द्वारा केवल बैंक द्वारा जारी फार्म ही, दरें भरने के लिए प्रयोग में लाये जाने चाहिए ।

4 (क) निविदा फार्म हिन्दी/अंग्रेजी में भरे जाएं ।

(ख) निर्दिष्ट कॉलम में दरें अंकों और शब्दों, दोनों में लिखी जानी चाहिए । निविदा भरते समय हुई समस्त प्रकार की कांट छांट और परिवर्तनों को निविदाकर्ता अपने आधक्षर करते हुए अधिप्रमाणित करें । अंकों पर उपरिलेखन की अनुमति नहीं है, इन शर्तों में से कि सी भी शर्त की अनुपालना न करने की स्थिति में बैंक निविदा को रद्द कर सकता है । निविदा खुलने के बाद दरों या शर्तों में परिवर्तन संबंधी किसी प्रकार की सूचना को नहीं माना जायेगा ।

(ग) निविदा के प्रत्येक दस्तावेज पर निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसमें दी गई ठेके की सामान्य शर्तों, विशेष निर्देशों, विशेष शर्तों आदि की उसकी/उनकी जानकारी होने के प्रमाणस्वरुप हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।

(घ) फर्म की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली निविदा पर फर्म के समस्त भागीदारों या उस भागीदार के जिसे फर्म की ओर से प्रस्तावित ठेके संबंधी आवश्यक प्राधिकर प्राप्त हैं, हस्ताक्षर किये जायें अन्यथा बैंक द्वारा वह निविदा निरस्त कर दी जाएगी ।

5. भारतीय रिजर्व बैंक सबसे कम दर वाली या अन्य किसी निविदा को स्वीकार करने को बाध्य नहीं है और किसी भी या समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताए पूर्ण रुप से या आंशिक रुप से निरस्त करने के अधिकार रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है ।

6. निविदाएं प्रस्तुत करने के इच्छुक पार्टी को बयाना राशि के रुप में ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) जयपुर में देय अनुसूचित बैंक पर आहरित "माँग बैंक ड्राफ्ट" द्वारा प्रस्तुत करनी होगी । "बैंक ड्राफ्ट "भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर के नाम देय हो । बयाना राशि निविदाकर्ता को उसकी निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी ।

7. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ जमा कराई गई बयाना राशि कार्य निष्पादन और ठेके को विधिवत पूरा किये जाने तक रिज़र्व बैंक के पास जमा रहेगी । उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा ।

8. (क) बैंक से निविदाकर्ता/कर्ताओं की निविदा की मंजूरी संबंधी सूचना प्राप्त होते ही सफल निविदाकर्ता अनुबंध क्रियांवित करने के लिए बाध्य होगा/होंगे । सफल निविदाकर्ता करार प्रारुप और दरों की सूची के अनुरुप 31 मार्च 2018 तक एक करार पर हस्ताक्षर करेगा किन्तु निविदा के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित स्वीकृति रिज़र्व बैंक और निविदाकर्ता के बीच बाध्यकारी अनुबंध होगा चाहे इस प्रकार का औपचारिक करार पहले या बाद में निष्पादित हो या नहीं ।

(ख) कार्य की प्रकृति: पुलिस अभिरक्षा और बैंक प्रतिनिधियों की देख-रेख में, नए / पुराने नोटों से भरे हुए बक्से अनुबंध कर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गए ट्रकों में लादे / से उतारें जाएंगे | भरे हुए ट्रक पुलिस अभिरक्षा और बैंक प्रतिनिधियों की निगरानी में रिज़र्व बैंक के कार्यालय / रिज़र्व बैंक द्वारा नामित बैंक की तिजोरी शाखा की और चलेंगे | मार्ग की दूरी की गणना, रिजर्व बैंक के अधिकारी द्वारा अंकित किये गए प्रारम्भिक और अंतिम मीटर पठन के अनुसार की जाएगी | यात्रा दूरी / यात्रा मार्ग में कोई विवाद होने पर गूगल मानचित्र में दर्शाया गया मानचित्र मान्य होगा और उसके अनुसार बिल का भुगतान किया जाएगा | रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए प्रेषण आदेश में ट्रक की क्षमता व मुद्रा तिजोरीयों के नाम इंगित होंगे |

9. इस ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकाकर्ता द्वारा नियोक्ता को देय समस्त क्षतिपूर्ति या अन्य राशि उनकी जमानत राशि में से काट दी जायेगी । यदि जमानत राशि अपर्याप्त है तो क्षतिपूर्ति या अन्य राशि ठेकाकर्ता को ऐसी कटौति से 10 दिन के भीतर नकद रुप से जमा करानी होगी ।

10. अनुबंध कर्ता ठेके को हस्तान्तरित नहीं कर सकता और वह ठेके का कोई भी भाग बैंक से लिखित में अनुमति के बिना किराये पर नहीं दे सकता है । इन शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में ठेकाकर्ता के विरुद्ध बैंक विद्यमान उपायों को प्रभावित किये बिना ठेकेकर्ता को ठेका समाप्त करने का लिखित में नोटिस जारी करेगा और इसके बाद बैंक के पास जमा की गयी सुरक्षा राशि वापिस नहीं लौटायी जाएगी।

11. सफल निविदाकर्ता बैंक में प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों के सभी चालकों के आवश्यक विवरण यथा: नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता फोन/मोड़ाईल संख्या, फोटो, ड्राइविंग लाईसेंस की फोटो कापी बैंक को प्रस्तुत करेगा और इसमे कोई बदलाव होता है तो उसकी सूचना बैंक को तुरंत देनी होगी | अनुबंध कर्ता अपने यहाँ कार्यरत सभी कर्मियों के पुलिस सत्यापन और आपराधिक गतिविधि से दूर होने की जिम्मेवारी लेगा |

12. प्रेषण कार्य में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी वाहनो के पंजीकरण, बीमा और सड़क मार्ग पर चलने योग्य प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों की प्रतियाँ अनुबंध कर्ता द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की जाएंगी |

13. आवेदक को पर्याप्त साधन सम्पन्न होना चाहिए एवं किसी एक सरकारी बैंक /अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में उनका खाता होना चाहिए । बैंक के नाम एवं खाते के प्रकार का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

14. निविदाकर्ता को उन व्यक्तियों (पार्टियों) के नाम एवं पते देने चाहिए जहाँ उन्होंने विगत समय में ऐसी सेवाएं दी है । सेवा/अनुबन्ध अवधि का विवरण भी दिया जाये ।

15. संविदा अवधि 01 अक्तूबर 2017 से 31 मार्च 2018 एक अर्थात 6 माह की होगी जिसे बैंक अपनी इच्छा से आपसी सहमति के बाद संविदा करार के निबन्धनों और शर्तो में कोई परिवर्तन किये बिना, एक- एक वर्ष के लिए कुल दो बार आगे बढ़ा सकते हैं ।

16. अपरिहार्य स्थिति में मार्ग में वाहन खराब हो जाने पर तत्काल उसके स्थान पर अपने खर्च एवं जिम्मेदारी पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना अनुबंध कर्ता की जिम्मेदारी होगी (at his own cost and responsibility) ताकि प्रेषण कार्य में विलम्ब नहीं हो । इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक नहीं करेगा ।

17. इस ठेके के कार्य के सुचारु संचालन हेतु बैंक द्वारा समय समय पर दिये गये अनुदेशों की पालना ठेकेदार द्वारा की जायेगी ।

18. कम्पनी / फर्म के मामले में जिन अधिकारियों/व्यक्तियों द्वारा टेन्डर फार्म एवं सामान्य अनुदेश एवं शर्तों के पत्र पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं, वें इस कार्य हेतु कम्पनी/फर्म की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होने चाहिये तथा इसकी सत्य प्रमाणित प्रति भरे हुये निविदा फार्म के साथ संलग्न की जानी चाहिये ।

19. जिस कम्पनी/फर्म का ठेके के लिये चयन होगा, उसे इस कार्य हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा । अनुबंध हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा जायेगा । अनुबंध में विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा | अनुबंध में अन्य बातों के अलावा, अनुबन्ध का निरस्तीकरण / नवीनीकरण, फोर्स आर्बीट्रेशन, विवाद का निपटान, वाहनों का रिपोर्टिंग समय, गोपनीयता, ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा कि या जाने वाला व्यवहार इत्यादि (और भी अन्य बातों) से संबंधित शर्तों एवं नियमों का भी समावेश होगा ।

20. निविदा दस्तावेज़ में उल्लेखित कतिपय नियमों और शर्तों के अधीन इस उद्देश्य के लिए एक से अधिक अनुबंधकर्ताओं को लगाया जा सकता है|

21. अनुबंध कर्ता को प्रत्येक माह सम्पन्न किए गए कार्य का बिल उसके अगले महिने के प्रथम सप्ताह की समाप्ति से पूर्व विभाग में प्रस्तुत करना होगा। बिल का भुगतान स्त्रोत पर आयकर की कटौती के उपरांत NEFT के माध्यम से निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक में किया जाएगा |

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन हेतु उपयुक्त अनुदेशों को पढ और समझ लिया है ।

साक्षी : ....

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पता ....
....

साक्षी : ....

दिनांक :